न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 34/2022

1. जनकराज पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।

:– वादी

व ना म

1. जुगलाल पुत्र जीताराम जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
2. रामफल पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
3. सुनीता पुत्री राजवाला पत्नी दारासिंह जाति जाट निवासी मोडाखेड़ा त0 आदमपुर जिला हिसार।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचन्द वर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अक्षय वर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा भिरानी के खाता सं0 2/553 के मु0 न0 490 के किला न0 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2, मु0 न0 506 के किला न0 10/1, 10/2, 11, 20/1, 20/2, मु0 न0 507 के किला न0 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 कुल रकबा 4.8070है0, जिसमें से बारानी 4.7180है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0890है0, खातेदारी में से प्रतिवादी सं0 1 जुगलाल के नाम 1/2 हिस्सा व रोही चक 8 जेएसएल के खाता सं0 222/57 के मु0 न0 103 के किला न0 17, 18, 23, 24, मु0 न0 118 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 14 कुल 3.9980है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 जुगलाल के नाम से 747/1999 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वर्णित वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 जुगलाल अकेले के वजाय वादी जनकराज व प्रतिवादी सं0 2 रामफल को संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा के व प्रतिवादी सं0 1 जुगलाल को 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.03.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 34/2022

1. जनकराज पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।

:-वादी

बनाम

1. जुगलाल पुत्र जीताराम जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
2. रामफल पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
3. सुनीता पुत्री राजबाला पत्नी दारासिंह जाति जाट निवासी मोडाखेडा त0 आदमपुर जिला हिसार।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा : वादी
वकील श्री अक्षय वर्मा: प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 25.03.22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भिरानी के खाता सं0 /553 के मु0 न0 490 के किला न0 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2, मु0 506 के किला न0 10/1, 10/2, 11, 20/1, 20/2, मु0 न0 507 के किला न0 3/1, /2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 कुल रकबा 4.8070है0, समें से बारानी 4.7180है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0890है0, खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 जुगलाल नाम 1/2 हिस्सा व रोही चक 8 जेएसएल के खाता सं0 222/57 के मु0 न0 103 के ला न0 17, 18, 23, 24, मु0 न0 118 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 14 कुल 3.9980है0 री खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 जुगलाल के नाम से 747/1999 हिस्सा राजस्व कार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा जीताराम की खातेदारी हुआ करती थी। जीताराम देहान्त के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी स0 1 जुगलाल ने कर्ता खानदान होने के चलते ा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी ारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे सी, त्रृण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद ि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा ने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन लब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एव प्रतिवादी सं 1 ता 3 के द्वारा सी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व वेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 जनकराज पुत्र जुगलाल के बयान करवाये गये। तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी भिरानी के खाता सं0 2/553 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि रोही 8 जेएसएल खाता सं0 222/57 प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि रोही भिरानी संवत 2033-41 प्रदर्श 3, दादालाई जमाबंदी रोही 8 जेएसएल संवत 2038-41 प्रदर्श 4 प्रमाण पत्र बाबत सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 5, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 6, मृत्यु प्रमाण पत्र राजबाला प्रदर्श 7ए व मृत्यु प्रमाण पत्र संजय कुमार प्रदर्श 8ए प्रदर्शित करवाये।

Scanned with CamScanner

वहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने वहस वकील वादीने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी स 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी गण के हको पर विपरित असर पडता है।अतः मुताविक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति सावित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही भिरानी व 8 जेएसएल के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी भिरानी के खाता स0 2/553 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि रोही 8 जेएसएल खाता सं0 222/57 प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि रोही भिरानी संवत 2033–41 प्रदर्श 3, दादालाई जमाबंदी रोही 8 जेएसएल संवत 2038–41 प्रदर्श 4 शपथ पत्र बावत सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 5, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 6, मृत्यु प्रमाण राजवाला प्रदर्श 7ए व मृत्यु प्रमाण पत्र संजय कुमार प्रदर्श 8ए प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 5 सदस्य प्रमाण के अनुसार जुगलाल के दो पुत्र जनकराज व रामफल व एक पुत्री स्व0 राजबाल (चूंकि राजबाला के जायज वारिसान में एक पुत्री सुनीता व एक पुत्र स्व0 संजय कुमार, (स्व0 संजय कुमार लावल्द फौत हो चुका है) तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। तथा प्रदर्श 2 व 3 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताविक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी सावित होने के कारण मुताविक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भिरानी के खाता सं0 2/553 के मु0 न0 490 के किला न0 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2, मु0 न0 506 के किला न0 10/1, 10/2, 11, 20/1, 20/2, मु0 न0 507 के किला न0 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 कुल रकबा 4.8070है0, जिसमे से बारानी 4.7180है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0890है0 खातेदारी में से प्रतिवादी सं0 1 जुगलाल के नाम 1/2 हिस्सा व रोही 8 जेएसएल के खाता सं0 222/57 के मु0 न0 103 के किला न0 17, 18, 23, 24, मु0 न0 118 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 14 कुल 3.9980है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 जुगलाल के नाम से 747/1999 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वर्णित वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 जुगलाल अकेले के बजाय वादी जनकराज व प्रतिवादी सं0 2 रामफल को संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा के व प्रतिवादी सं0 1 जुगलाल को 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि उक्त भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.03.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(शकुन्तला चौधरी)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner